न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान हनुमानमल बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या 178/2025
निर्णय दिनांक 09/07/2025

हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम जाति जांगिड़ निवासी इन्दासी तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट., 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थितिः–

1. श्री विकास सोनी (वकील प्रार्थी)
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार तारानगर

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 152 के खसरा सं. 278/94 तादादी 4.0464 हैक्ट. व खाता संख्या 225 ख.नं. 439/40 तादादी 2.9083 हैक्ट. राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। कृषि भूमि खाता संख्या 152 के खसरा सं. 278/94 तादादी 4.0464 हैक्ट. वाके रोही मौजा इन्दासी की जमाबंदी में भूलवश वर्तमान राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम हड़मान पुत्र कुंभाराम व निवासी खातेदार तारानगर दर्ज है, जो गलत है तथा कृषि भूमि खाता संख्या 225 के ख.नं. 439/40 तादादी 2.9083 हैक्अ. वाके रोही इन्दासी में वादी का नाम हड़मानप्रसाद पुत्र कुंभाराम दर्ज है जो गलत है अब वादी द्वारा जमाबंदी निकलवाने पर पता चला कि कृषिभूमि खाता संख्या 152 के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम व पिता का नाम तथा निवासी खातेदार तारानगर गलत दर्ज है तथा खाता संख्या 225 में वादी का नाम व पिता का नाम गलत दर्ज है जबकि वादी का सही नाम हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम निवासी इन्दासी है। वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड में वादी का नाम हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम निवासी इन्दासी दर्ज है। नाम में भिन्नता होने के कारण वादी को कृषि ऋण, फसल बेचान व भारत सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। अब वादी जमाबन्दी में दुरूस्ती करवाना चाहता है। इसलिए वाद पत्र पेश कर रहा है। अतः कृषि भूमि रोही इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 152 के खसरा सं. 278/94 तादादी 4.0464 हैक्ट. व खाता संख्या 225 ख.नं. 439/40 तादादी 2.9083 हैक्ट. में वादी का नाम हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम निवासी इन्दासी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादी का नाम हड़मान पुत्र कुंभाराम, हड़मानप्रसाद पुत्र कुंभाराम व हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम निवासी इन्दासी दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, जनाधार कार्ड मे वादी का नाम हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम निवासी इन्दासी पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हड़मान पुत्र कुंभाराम व हड़मानप्रसाद पुत्र कुंभाराम अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही इन्दासी पटवार हल्का करणपुरा तहसील तारानगर के खाता संख्या 152 के खसरा सं. 278/94 तादादी 4.0464 हैक्ट. व खाता संख्या 225 ख.नं. 439/40 तादादी 2.9083 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम हड़मान पुत्र कुंभाराम निवासी तारानगर खातेदार व हड़मानप्रसाद पुत्र कुंभाराम Delete कर इसके स्थान पर हनुमानमल पुत्र कुम्भाराम निवासी इन्दासी अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)